



CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA [AUTONOMOUS]

Affiliated By.: Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalya, Badshahithaul, Tehri (Garhwal)

Landhaura-247664 [Haridwar]

Mob.: 7001605489, 9997998050

✉ cldegree21@gmail.com 🌐 www.cldcollege.com

Prospectus विवरणिका 2026-27

चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त)

लण्डौरा-247664 (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

सम्बद्ध-श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी (गढ़वाल)

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

नाम	पद
पं. राम कुमार शर्मा	अध्यक्ष
पं. ईश्वर चन्द शर्मा	उपाध्यक्ष
श्री अरुण कुमार हरित	सचिव
श्रीमती अर्चना शर्मा	उप सचिव
श्री अतुल हरित	कोषाध्यक्ष
डॉ. सुशील उपाध्याय	प्राचार्य, पदेन सदस्य
डॉ. अनिता रानी	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
डॉ. प्रभात कुमार सिंह	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
श्री सुमित कौशिक	गैर शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

समाज के हित में सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा से भगवानपुर चन्दनपुर निवासी पं. ईश्वर चन्द शर्मा जी और पं. रामकुमार शर्मा ने लंदौरा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में रहने वाले छात्र-छात्राओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चमन लाल एजुकेशनल ट्रस्ट, लंदौरा की स्थापना की। आपने शिक्षा की असाधारण महत्ता को पहचान कर चमन लाल महाविद्यालय, लंदौरा (हरिद्वार) के रूप में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महाविद्यालय की स्थापना कर इस क्षेत्र की जनता के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल दिये।

चमन लाल महाविद्यालय श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड से सम्बद्धता प्राप्त है एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता क्रम में प्रथम है। महाविद्यालय में बी.ए., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति- विज्ञान, इतिहास, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल तथा बी.एससी. (गृह विज्ञान) बी.एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस बी.कॉम. (सी.एफ. ए. / नॉन सी.एफ.ए.) बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम. (ऑनर्स), बी. लिब. पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। 20 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड बादशाही थौल द्वारा सम्बद्ध एवं संचालित हैं तथा एम.ए. (पत्रकारिता), एम.ए. (योग), पी.जी. डिप्लोमा (योग) की कक्षाएं उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से सम्बद्ध एवं संचालित की जा रही हैं। छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र में शिक्षण के साथ-साथ संगोष्ठी, परियोजना कार्य, क्षेत्र आधारित गतिविधियां, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान एवं कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।

Our Vision

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का सर्वांगीण विकास करना तथा उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान (केन्द्र) के रूप में विकसित होना।

Our Mission

- छात्र-छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हेतु बाधा रहित समग्र शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना।
- राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण को नियोजित करना / उक्त के अनुरूप शैक्षिक एवं शिक्षण सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- कैरियर उन्मुख कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से छात्र/छात्राओं की दक्षता और भविष्यपरक कौशलों में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना।
- तीव्र प्रौद्योगिकी / तकनीकी विकास के दृष्टिगत ई-लर्निंग को बढ़ावा देते हुए तत्सम्बंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना।
- शैक्षिक विषयों के दार्शनिक-सैद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावसायिक एवं जीवन प्रयत्न कौशलों की प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना।
- लैंगिक समानता, धार्मिक-सांस्कृतिक एकीकरण, विविधता के संवर्धन के दृष्टिगत सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना।

Core Value

1. नई पीढ़ी में ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ सूचना साक्षरता, कैरियर उन्नति, व्यक्तिगत समृद्धि, नेतृत्व और सेवा के लिए आवश्यक कौशल का विकास।
2. छात्र-छात्राओं में नैतिक व्यवहार के साथ-साथ जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध।
3. व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता और अभिनव दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रोत्साहन।
4. विविधता को एक मूल्य के रूप में प्रोत्साहन और विविधता के माध्यम से समता एवं समावेशिता को बढ़ाना।
5. वैयक्तिक आत्मविश्वास के साथ समग्र उत्कृष्टता को प्रोत्साहन।



महाविद्यालय के गौरव

क्रमांक	नाम	सत्र	कक्षा/कोर्स	उपलब्धि
01	विपिन कुमार	2016-17	B.Sc.	University Silver Medal
02	शांकुल कुमार सैनी	2016-17	B.Sc.	University Gold Medal
03	अम्बर सुल्ताना	2016-17	B.A.	University Gold Medal
04	आयरीन	2016-17	B.A.	University Silver Medal
05	तफसीर जहरा	2016-17	B.Com	University Gold Medal
06	बिलाल साबरी	2016-17	B.Com	University Silver Medal
07	सहराज बानो	2017-18	B.A.	University Gold Medal
08	आरुषी	2019-20	Yoga	NET
09	निशा राठी	2020-21	Chemistry	GATE
10	विजय प्रकाश	2020-21	Geography	JRF
11	धर्मवीर शर्मा	2020-21	Yoga	JRF
12	शिवांक शर्मा	2020-21	History	JRF
13	मौ. साकिब उमर	2020-21	Chemistry	JAM
14	शिव अवतार	2020-21	Lib Science	University Gold Medal
15	गरिमा पंत	2020-21	Lib Science	University Gold Medal
16	सलोनी	2020-21	Hindi	University Gold Medal
17	अंकित कुमार	2022-23	Botany	JAM
18	शिव अवतार	2022-23	Lib Science	NET
19	रजनी देवी	2022-23	Home Science	JRF
20	अंजली चौधरी	2023-24	Home Science	University Gold Medal
21	शिवानी चौधरी	2023-24	Home Science	University Gold Medal
22	रीता	2023-24	Lib Science	NET/SET
23	नेहा	2023-24	Lib Science	University Topper
24	वैशाली पुण्डीर	2023-24	Lib Science	University Topper
25	जोगिंदर कुमार	2023-24	Sociology	NET
26	निशा कंचन	2023-24	Drawing	University Topper
27	तन्नु सिंह	2024-25	History	NET Qualified for Ph.D.
28	शिवांक शर्मा	2024-25	History	JRF
29	कामेश्वर धीमान	2024-25	Pol. Science	NET Qualified for Ph.D.
30	सौम्या थरेजा	2024-25	Yoga	NET
31	मनीष शर्मा	2024-25	Yoga	NET
32	आर्यन सिंह	2024-25	Yoga	NET
33	दीपा रानी	2024-25	Sanskrit	NET
34	नरेश शर्मा	2024-25	Yoga	NET Qualified for Ph.D.
35	सनिया शर्मा	2025-26	Life Science	CSIR UGC NET
36	याम्या सिंह	2025-26	Lib. Science	JRF
37	हीना खातून	2025-26	English	NET Qualified for Ph.D.



Academic Calendar for the Session 2026-2027
(Common for all Conventional and Professional Courses)

Odd Semester

S.No.	Particulars	Dates
1.	Inviting online applications for the admissions to courses where the eligibility is Intermediate (UG)	30th April 2026 (Subject to the declaration of Intermediate Result)
2.	Last date for admission Registration to courses (UG)	31-05-2026
3.	Counseling and finalizing admissions for the first semester (UG) including Collection of admission and exam fees.	01-06-2026 to 20-06-2026
4.	Duration of Summer Break	21-06-2026 to 10-07-2026
5.	Inviting online applications for the admissions (PG)	01-07-2026 (Subject to the declaration of Graduation result)
6.	Student Induction Programme for UG students	11-07-2026 to 12-07-2026
7.	Commencement of teaching work for students admitted in all odd semester (UG) and PG(III)	13-07-2026
8.	Collection of admission and exam fees admitted in all intermediary UG and PG semesters	13-07-2026 to 20-07-2026
9.	Last date for admission Registration to courses (PG)	13-07-2026
10.	Duration for finalizing admissions for the first semester (PG) including collection of admission and exam fees-	15-07-2026 to 20-07-2026
11.	Commencement of teaching work for students admitted in first semester (PG)	22-07-2026
12.	Marks of Internal Assessment should be uploaded on the portal before for UG	14-11-2026
13.	Duration for First Semester Examination (UG) and all intermediary UG and PG semesters	09-11-2026 to 04-12-2026
14.	Last date for uploading of Internal Assessment marks of PG on the portal-	23-11-2026
15.	Duration for First Semester Examinations (PG)	21-11-2026 to 14-12-2026
16.	Duration of Winter Break	01-01-2027 to 20-01-2027 According to University
Even Semester		
17.	Commencement of teaching work for the Even Semester	21-01-2027
18.	Duration of Even Semester Examinations	11-05-2027 to 05-06-2027
19.	Duration of Summer Break	According to University

नोट :- शासन/वि०वि० के निर्देशों के क्रम में संशोधन किया जा सकता है।

आचार-संहिता

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों द्वारा समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. परिसर में किसी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग अथवा धमकी या अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में या अन्यत्र आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड चार में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय की व्यवस्था के किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज (जिनमें पत्रावलियां, पैम्पलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनाएं आदि सम्मिलित का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण करना।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो महाविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. शस्त्र रखना, प्रदर्शन करना अथवा उससे धमकाना।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार अथवा यौन उत्पीड़न सम्बंधी कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा अन्य कोई भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
17. अनधिकृत रूप से पैसा एकत्र करना।
18. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखना, वितरित करना अथवा सेवन करना या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
19. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
20. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय व्यवस्था की किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
21. रैगिंग करने संबंधी अथवा उसमें लिप्त होने संबंधी कोई कृत्य।

आवश्यक निर्देश

प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय विवरणिका में दिये गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा उनका अनुपालन करें।

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2. महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है, यदि कोई रैगिंग करता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
3. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का होगा।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति अथवा अनुशासन समिति की संस्तुति पर किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है या प्रवेश देने हेतु मना किया जा सकता है।
5. कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए क्यों न आया हो, महाविद्यालय वेशभूषा में आना अनिवार्य है।
6. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड सम्भव है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
7. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला निषेध है। इनका सेवन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई भी संभव है।
8. महाविद्यालय में अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा की स्थिति में वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।
9. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाये जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
10. कोई भी छात्र/छात्रा किसी दूसरे छात्र/छात्रा पर धर्म एवं जाति संबंधी टीका टिप्पणी न करें। ऐसा करना कानूनी अपराध हो सकता है।
11. सभी छात्र-छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। यह कभी भी मांगा जा सकता है।
12. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित दिन में अपनी पुस्तकें निर्गत आगत करवायें। पुस्तकें निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
13. छात्र-छात्राएं अपनी कक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त इधर-उधर न घूमें।
14. छात्राओं के लिए भवन की पूर्वी सीढ़ियों एवं छात्रों के लिए पश्चिमी सीढ़ियों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीढ़ियों का ही प्रयोग किया जाए।
15. प्रबंध समिति एवं प्राचार्य कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। अनुमति के बाद ही प्रवेश करें।
16. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
17. महाविद्यालय में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।
18. किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लेकर सीधे प्रबंध समिति / प्राचार्य कक्ष में प्रवेश न करें। संबंधित शिक्षक / कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।
19. सभी छात्र एवं छात्राओं एवं महिला कार्मिकों के साथ व्यवहार में मर्यादा का पालन करेंगे। अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।
20. महाविद्यालय द्वारा किसी कारण से प्रवेश निरस्त करने के बाद शुल्क वापिस नहीं होगा।
21. किसी भी प्रकार का धन जो आपने महाविद्यालय में जमा किया है, उसकी रसीद तुरन्त अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित काउंटर की बजाए अन्यत्र या अनाधिकृत व्यक्ति को शुल्क देने पर छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
22. प्रवेश की तिथि से 30 दिन पश्चात शुल्क वापसी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभिभावकों के लिए

यदि आपका पुत्र/पुत्री किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि किसी आकस्मिक/गंभीर स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके।

पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

पुस्तकालय –

महाविद्यालय में लगभग 11000 पुस्तकों का समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है जो कि प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी के सभी प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। अनुशासन के दृष्टिकोण से पुस्तकालय में छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग वाचनालय (रीडिंग रूम) की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र-छात्राएं निम्नलिखित व्यवस्था का पालन करेंगे।

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय-पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
3. प्रत्येक छात्र-छात्रा एक समय में प्राप्त पुस्तक अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तत्पश्चात् 5/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि पर प्राचार्य द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जायेगा।
4. पुस्तकालय संदर्भ ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
5. पुस्तक खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति पर प्राचार्य की अनुमति लेकर पुस्तक की नई प्रति अथवा उसकी वर्तमान कीमत जमा करनी होगी।
6. वापस की गयी पुस्तक उसी दिन वितरित नहीं की जायेगी।
7. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय (नो-ड्यूज) प्रमाण-पत्र लेना होगा।
8. पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रयोगशाला – महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सभी प्रयोगात्मक विषयों की प्रयोगशालाएं हैं। जहाँ पर विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने की सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्र-छात्राओं को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समयानुसार प्रयोगशाला सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य या प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रत्येक छात्र-छात्रा को गैस लैम्प की सुविधा उपलब्ध है। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्र-छात्रा से उपकरण के मूल्य के समान धनराशि वसूल की जाएगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) – महाविद्यालय में मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए एन.सी.सी. यूनिट उपलब्ध हैं। योग्यता के आधार पर छात्र – छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। विगत वर्षों में एन.सी.सी. के कैडेटों ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एन०सी०सी० की कुल 100 सीटें हैं जिस में 33 सीटें छात्राओं के लिए और 67 सीटें छात्रों के लिए हैं। एन.सी.सी. के सभी उच्च स्तर के कैम्प उच्च स्तरीय गतिविधियों में महाविद्यालय के एन०सी०सी० कैडेट्स ने विभिन्न कैम्प प्रतिभाग किया। जैसे-माउंटनेंग कैम्प थल सेना कैम्प, लीडरशीप कैम्प, आरडीसी कैम्प, नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प, फायरिंग कैम्प आदि।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) – महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाई संचालित हैं। छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास में एन.एस.एस. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रोवर्स/रेंजर्स – महाविद्यालय में हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड के अन्तर्गत महाविद्यालय को रोवर्स / रेंजर्स की दो यूनिट की मान्यता प्राप्त है। जिसमें प्रत्येक सत्र में प्रवेश प्रवीण व निपुण शिविर का आयोजन भी किया जाता है।

अनुशासन-समिति – महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने, विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने अभिभावकों / संरक्षकों के साथ आवश्यक तालमेल की दृष्टि से अनुशासन समिति अनुशासनात्मक गतिविधियों का संचालन करती है। समस्त विद्यार्थियों के परिचय-पत्र प्रभारी, अनुशासन समिति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा छात्र-छात्राये परिचय-पत्र तैयार कर प्रॉक्टोरियल बोर्ड से पूरा कराकर हमेशा अपने साथ रखें।

एण्टी रैगिंग सेल – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एण्टी रैगिंग स्कवाड का गठन किया गया है। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं अभिभावक / संरक्षक द्वारा अलग-अलग दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ – महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी अर्थात् छात्राओं के रूप में तथा शिक्षक एवं कर्मचारी के रूप में महिलायें कार्यरत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु तथा महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है। जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक महिला शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें।

खेलकूद समिति— छात्र-छात्राओं के नैतिक तथा शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में खेल-कूद संचालित करने के लिए एक समिति गठित की गई है जो खेलकूद सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा कराती है। हर प्रकार के खेल का अभ्यास व संचालन खेल समिति के माध्यम से वर्ष भर होता है। कुशल खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र तथा पारितोषिक दिए जाते हैं। कॉलेज की टीमों विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रतिभाग करती हैं। राष्ट्रीय खेल-2025 में महाविद्यालय के 2 छात्रों को स्वर्ण/कांस्य पदक प्राप्त हुए, विश्वविद्यालय स्तर पर महिला कबड्डी प्रतियोगिता एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक पदक प्राप्त हुए हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति— छात्र-छात्राओं के नैतिक तथा रचनात्मक विकास के लिए वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, कविता तथा काव्य पाठ आदि में सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। समिति छात्र/छात्राओं की आन्तरिक प्रतिभाओं को उभारने के लिए कृत संकल्प है। छात्र-छात्राओं को प्रतिभा प्रदर्शन एवं बहुमुखी विकास के लिए यथासम्भव सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

शिक्षक-अभिभावक संघ— महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया गया है ताकि छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर अभिभावकों की अपेक्षा के अनुसार छात्र-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके। संघ का उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों की शैक्षिक समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करना भी है।

निर्धन एवं मेधावी (मेंटरशिप एवं इंस्पायर ग्रुप) छात्र/छात्रा कल्याण समिति— छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति कार्यरत है। इससे विद्यार्थी रोजगार जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग-निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

डिस्पेंसरी— महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से डिस्पेंसरी भी आरम्भ की गई है। डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। डिस्पेंसरी के माध्यम से शिक्षकों, कर्मिकों एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाती है एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका— महाविद्यालय पत्रिका 'चमन संदेश' का प्रकाशन प्रति वर्ष किया जाता है, जिससे छात्र-छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। विगत वर्षों से निरंतर पत्रिका के विशेषांक प्रकाशित किये जा रहे हैं। पत्रिका को ISBN के साथ प्रकाशित कराया जाता है।

कम्प्यूटर लैब— वर्तमान में कम्प्यूटर आधारित अध्ययन का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एवं जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। महाविद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन सहित सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। समयानुसार कम्प्यूटर लैब सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्र-छात्राएं प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं।

आन्तरिक गुणवत्ता संवर्द्धन प्रकोष्ठ (IQAC)— महाविद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के उद्देश्य से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ वर्ष 2018-19 से क्रियाशील है। प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के आगामी 5 एवं 10 वर्ष के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रकोष्ठ द्वारा NAAC मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। सत्र 2022 में महाविद्यालय का NAAC टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया जिसमें महाविद्यालय ने B+ ग्रेड प्राप्त किया।

कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट असिस्टेंट समिति— महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उनके भविष्य के कैरियर की लिए मार्गदर्शन देने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित की जाती है। यह समिति छात्र/छात्राओं की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें सही कैरियर चुनने में सहायता करती है तथा विभिन्न संस्थानों और कंपनियों से संपर्क स्थापित कर प्लेसमेंट की व्यवस्था भी करती है। कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट असिस्टेंट समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है। यह समिति छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा तथा नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को निम्न प्रकार छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है —

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक / विकलांग छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। समय-समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन-पत्र पर वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती है। छात्रवृत्ति सम्बंधी निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों की जानकारी रखें। आरक्षित वर्ग से इतर मेधावी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु महाविद्यालय में निर्धन छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

निर्धन छात्र कोष— निर्धन छात्र कोष से प्रति वर्ष छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्रा नोटिस बोर्ड पर लगी सूचना के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते / सकती हैं।

नई शिक्षा नीति के निर्देश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022-23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एवं अन्य संबंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश प्रस्तावित किये गये हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा-निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है। विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों / संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे-

- तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू है।
- स्नातक (शोध सहित) बी.ए., बी.एस.सी., बी. कॉम. आदि एवं स्नातक पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू है।
- बी.ए. आनर्स, बी.एस.सी. आनर्स, बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू है।
- स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा-निर्देश प्रभावी नहीं होंगे।

2. पाठ्यक्रम- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात् अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट / डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. नई शिक्षा नीति में प्रवेश के नियम- सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर / महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर / महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेगा। प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग / संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre-requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा। वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

प्रवेश नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/ संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1.3 परिसरों/महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार ६ आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरुद्ध (पाबन्द) किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत धोखाधड़ी से प्रवेश लेना माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशार्थ किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—

1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

1. महिलाएँ	30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3. दिव्यांग	05 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत
5. उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	05 प्रतिशत

जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में नियमानुसार सुविधायें प्रदत्त की जाएंगी।

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

क) एन0सी0सी0 बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन—	20 अंक
घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन—	20 अंक

- ड) अन्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 20 अंक
- च) अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर 40 अंक
- छ) शासन द्वारा/खेल फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर 30 अंक
- ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- छ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- झ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर/ मण्डल के आधार पर 20 अंक
- ठ) अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक
- नोट –** उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।
- 1.14(क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/ परिसरों / संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) व सी0सी0 के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
- (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1.17 अभ्यर्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।
- 1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

अर्हता निर्धारण के नियम

(विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत)

अध्याय-2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम

- 2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
- क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी –
1. कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
 2. विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
 3. वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण 40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
 4. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2-1 क) के अनुसार योग्यता सूची में आने पर एवं संबंधित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
- 2.2 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्य / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2.4 उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।
- 2.5 The candidates for the Under&Graduate program s shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional & subject combinations as per the group&scheme provided below:

एकल संकाय महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों [Three Discipline Specific Core (DSC)] का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी० ई०— सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को 06 समूहों A से F में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत् प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्राइंग एवं पेंटिंग (Drawing &Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षाशास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)		
	गृह विज्ञान (Home Science)				
		संगीत (Music)			
	मनोविज्ञान (Psychology)				

नोट – विषय संयोजन उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी० ई०- सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गणित (Mathematics Group)

Group A	Group B	Group C
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry) कम्प्यूटर साइंस (Computer Science) भूगर्भ विज्ञान (Geology)

जीव विज्ञान समूह (Bio Group)

Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry) भूगर्भ विज्ञान (Geology) माइक्रोबायोलोजी (Microbiology) कम्प्यूटर साइंस (Computer Science)



गृह विज्ञान संकाय (Bachelor of Home Science) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी० ई०- सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गृह विज्ञान समूह (Home Science Group)

Group A	Group B	Group C
(A) Food & Nutrition खाद्य एवं पोषण	(A) Clothing and Textile Sciences परिधान एवं वस्त्र निर्माण	(A) Extension Education प्रसार शिक्षा
(B) Human Development and Family Studies मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	(B) Family Resource Management पारिवारिक संसाधन प्रबंध	

वाणिज्य संकाय Bachelor of Commerce (B.Com.) हेतु

प्रवेशार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (SSC)) का चयन निम्नानुसार करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

DSC-1	DSC-2	DSC-3
वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting)	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध (Business Organization and Management)	व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

ऐसे विद्यार्थी जो ०३ डी० एस० सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

DSC/DSE/GE किसी भी विषय में ०४ क्रेडिट का होगा।

बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

ए० ई० सी०-क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) :

विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में ०२ क्रेडिट का होगा।

एस० ई० सी०—कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) :

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (०६ सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में ०२ क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online platforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

वी० ए० सी०—मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) :

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (०४ सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में ०२ क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

आई० ए० पी० सी० (इन्टरशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच)/फील्डवर्क पाठ्यक्रम :

इन्टरशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (०२ सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में ०४ क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबंधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत ८० क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

Minor Project : स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस०ई०सी० (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

Data Science : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस०ई०सी० (SEC) के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

उत्तीर्ण होने संबंधी नई शिक्षा नीति-2020 के नियम एवं विभिन्न उपाधियों में उत्तीर्ण होने एवं अगले सेमेस्टर/कक्षा में प्रमोट होने संबंधी सभी नियम महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय में रैगिंग की समस्या के नियन्त्रण हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं यू० जी० सी० के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रैगिंग में पकड़े जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है—

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोकें जाने अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. संस्थान से निष्कासन एवं तदुपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
7. ₹. 25 हजार तक का जुर्माना।
8. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोट : छात्र/छात्रा एण्टी रैगिंग का फार्म भरकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करा दें। एण्टी रैगिंग फार्म हेतु नीचे दिये गये लिंक पर विजिट करें।

<https://antiragging-in>

Toll free Number 1800&180&5522

National antiragging Helpline (UGC crisis hotline)

(helpline@antiragging-in)

एण्टी रैगिंग

पाठ्यक्रम के अनुसार सीट

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट	विषय
1.	बी०ए०	प्रत्येक विषय में 120 सीट	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, चित्रकला, अर्थशास्त्र भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र
2.	बी० कॉम०	160 सीट	—
3.	बी०लिब०	40 सीट	—
4.	बी०एस-सी० (गृह विज्ञान)	60 सीट	—
5.	बी०एस-सी०	विषयानुसार सीट	भौतिक विज्ञान-120, गणित-120, रसायन विज्ञान-240 वनस्पति विज्ञान-120, जन्तु विज्ञान-120, सूक्ष्म जीव विज्ञान-80, कम्प्यूटर विज्ञान-80, भूगर्भ विज्ञान-80

स्वयन्त पोषित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट	विषय
1.	बी०ए०	प्रत्येक विषय में 120 सीट	हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संगीत, शिक्षाशास्त्र गणित, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र
2.	बी० कॉम० (ऑनर्स)	60 सीट	—
3.	बी०एस-सी० (कृषि विज्ञान)	120 सीट	—

क्रम स.	पाठ्यक्रम	सीट
1.	एम.एस-सी. (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक विषय)	40
2.	एम.एस-सी. (माइक्रोबायलॉजी)	40
3.	एम.एस-सी. (गणित)	40
4.	एम.ए.-भूगोल, गृह विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग	60
5.	एम.ए.-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान	60
6.	एम. कॉम.	60
7.	एम.लिब. (एकवर्षीय)	60

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

क्रम स.	पाठ्यक्रम	सीट
1.	योगाचार्य (द्विवर्षीय)	40
2.	योग पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय)	30
3.	एम.ए. (आचार्य) पत्रकारिता	30

चेक लिस्ट (अनिवार्य प्रमाण-पत्र)

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
4. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)
5. एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (छात्र एवं अभिभावक द्वारा अलग-अलग)
6. आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
7. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
8. पुलिस सत्यापन (अन्य राज्यों के छात्र-छात्राओं के लिए)
9. दस रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र (अन्य किसी स्थान पर प्रवेश)
10. इण्टरमीडिएट के पश्चात पढ़ाई में गैप होने सम्बन्धी शपथ-पत्र।
11. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर्स-रेंजर्स/खेल-कूद या अन्य विशेष उपलब्धि का प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)
12. आधार कार्ड।
13. दो पोस्ट कार्ड स्वयं का पता लिखा हुआ।



Course Fee पाठ्यक्रम शुल्क

S.No.	Course Fee	Boys	Girls
1.	BA (NP)	3842/-Sem.	3710/-Sem.
2.	BA (P)	4322/-Sem.	4190/-Sem.
3.	B.Sc. (गणित वर्ग)	4322/-Sem.	4190/-Sem.
4.	B.Sc. (बायो वर्ग)	4562/-Sem.	4430/-Sem.
5.	B.Com.	4322/-Sem.	4190/-Sem.
6.	B. Lib.	4562/-Sem.	4430/-Sem.
7.	B.Sc. (Home Sc.)	4462/-Sem.	4430/-Sem.

S.No.	Self Finance Course Fee	Boys / Girls
1.	BA Self Finance (P+NP)	उपरोक्तानुसार
2.	B.Com. (Hons.)	7000/-Sem.
3.	B.Sc. (Ag.)	9500/-Sem.
4.	M.Lib.	9500/-Sem.
5.	PG Diploma (Yog)	9500/-Sem.
6.	MA (Yog)	9500/-Sem.
7.	MA (Journalism)	5500/-Sem.
8.	MA (Hindi)	5500/-Sem.
9.	MA (History)	5500/-Sem.
10.	MA (Economics)	5500/-Sem.
11.	MA (English)	5500/-Sem.
12.	MA (Sanskrit)	5500/-Sem.
13.	MA (Political Science)	5500/-Sem.
14.	MA (Sociology)	5500/-Sem.
15.	M.Com.	7000/-Sem.
16.	MA (Geography)	6500/-Sem.
17.	MA (Home Science)	6500/-Sem.
18.	MA (Drawing & Painting)	6500/-Sem.
19.	M.Sc. (Botany)	6500/-Sem.
20.	M.Sc. (Zoology)	6500/-Sem.
21.	M.Sc. (Chemistry)	6500/-Sem.
22.	M.Sc. (Physics)	6500/-Sem.
23.	M.Sc. (Mathematics)	6500/-Sem.
24.	M.Sc. (Microbiology)	12000/-Sem.

नोट: 1. यदि विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा शुल्क में वृद्धि या अन्य कोई बदलाव किया जाता है तो बढ़ाया गया शुल्क छात्र/छात्रा द्वारा देय होगा
2. उपर्युक्त शुल्क में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।



महाविद्यालय परिवार

डॉ. सुशील उपाध्याय, प्राचार्य 9997998050
कला संकाय

अंग्रेजी विभाग :

डॉ. दीपा अग्रवाल, सहायक आचार्य 9758243800
डॉ. अपर्णा शर्मा, सहायक आचार्य 8660355780

अर्थशास्त्र विभाग :

डॉ. विमलकांत, सहायक आचार्य 9456380014
पद रिक्त

इतिहास :

डॉ. सूर्यकान्त शर्मा, सहायक आचार्य 9457370007

चित्रकला :

पद रिक्त

गृह विज्ञान :

डॉ. नीतू गुप्ता, सहायक आचार्य 9808964601
डॉ. अनामिका चौहान, सहायक आचार्य 7417386252

भूगोल :

डॉ. नवीन कुमार, सहायक आचार्य 9675569090

राजनीति विज्ञान विभाग :

डॉ. नीशू कुमार, सहायक आचार्य 8126501692
डॉ. धर्मन्त्र कुमार, सहायक आचार्य 9758085375

समाजशास्त्र विभाग :

श्री नवीन कुमार, सहायक आचार्य 7310585039
डॉ. हिमांशु कुमार, सहायक आचार्य 9720372818

संस्कृत विभाग :

डॉ. अनिता रानी, सहायक आचार्य 9410365317

हिन्दी विभाग :

डॉ. मीरा चौरसिया, सहायक आचार्य 9760222405
श्री आशुतोष शर्मा, सहायक आचार्य 9410247787

वाणिज्य संकाय

डॉ. किरन शर्मा, सहायक आचार्य 9997906020
डॉ. देवपाल, सहायक आचार्य 9410367462
डॉ. श्वेता, सहायक आचार्य 9410771888

विज्ञान संकाय

गणित विभाग :

डॉ. तरुण कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य 9917489599
श्री विनीत कुमार, सहायक आचार्य 6395782335

जन्तु विज्ञान विभाग

डॉ. विधि त्यागी, सहायक आचार्य 9084079464
डॉ. दीपिका सैनी सहायक आचार्य 9756790820

भौतिक विज्ञान विभाग :

श्री विपुल सिंह, सहायक आचार्य 9997402701
डॉ. अरविन्द कुमार, सहायक आचार्य 9027966128

भूगर्भ विज्ञान विभाग :

पद रिक्त

रसायन विज्ञान विभाग :

डॉ. संजीव कुमार, सहायक आचार्य 9837419074
पद रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग :

डॉ. मौ. इरफान, सहायक आचार्य 9897548687
डॉ. ऋचा चौहान, सहायक आचार्य 8869033804

सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग :

डॉ. प्रभात कुमार सिंह, सहायक आचार्य 9719136157

कम्प्यूटर साइंस विभाग :

पद रिक्त

पुस्तकालय विज्ञान विभाग

डॉ. कुलदीप कुमार, सहायक आचार्य 8630825622
डॉ. पुनीता शर्मा, सहायक आचार्य 9359578707



पुस्तकालय एवं कार्यालय

1. डॉ. रीना तोमर	पुस्तकालयाध्यक्ष	9818638779
2. श्री दिनेश कुमार	कार्यालय अधीक्षक	9719757864
3. श्री विदित कौशल	लेखाकार	7251970885
4. श्रीमती मंजूलता	उप सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	8979004189
5. श्री निशित कुमार	स्टेनो	7983909933
6. श्री दिनेश कौशिक	कनिष्ठ सहायक	7017590322
7. श्री सचिन शर्मा	कनिष्ठ सहायक	7218372584
8. पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक	
9. श्री दीपक चौधरी	कनिष्ठ सहायक	9927512002
10. श्री विपिन कुमार	कनिष्ठ सहायक	7055001434
11. श्री विशाल कुमार	कनिष्ठ सहायक	6396257607
12. श्री सुमित कौशिक	कनिष्ठ सहायक	8218796863
13. श्री रविन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	7253992679

प्रयोगशाला सहायक :

1. श्री अभिषेक	प्रयोगशाला सहायक (भूगर्भ विज्ञान)	80777770312
2. श्रीमती रीना गुप्ता	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	7017628124
3. पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	
4. श्रीमती प्रणीता भण्डारी	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	7351390787
5. श्री जितेश बगडवाल	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	9756219335
6. श्री अमित बहादुर	प्रयोगशाला सहायक (चित्रकला) (अनु.)	9058069676
7. पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	
8. श्रीमति दीपाक्षी शर्मा	प्रयोगशाला सहायक (माइक्रोबाइलॉजी)	7906063101
9. श्री नावेद आसिफ	प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)	9837864510
10. श्री गौरव अग्रवाल	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक विज्ञान)	9759961016
11. श्री भुवन चन्द्र ब्रजवासी	प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)	7895643116
12. श्री सतीश कुमार	प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)	9760823767

चतुर्थ श्रेणी वर्ग :

1. श्री अमित कुमार गुप्ता	7078163114	11. श्री सत्तार	6397159083
2. श्री अंकुर शर्मा	8077695625	12. श्री विनय कुमार	7897294237
3. श्री अनुज कुमार	9528186958	13. श्री दिनेश कुमार	9917703573
4. श्री अनुराग पाल	7895573968	14. श्रीमती नीलम देवी	8859855288
5. श्रीमती अर्चना	963971648	15. श्री अर्पित कुमार	8445469007
6. श्री अर्जुन कुमार	9368191366	16. श्रीमती ऋतु	7818953496
7. श्री दुष्यन्त कुमार	7900801568	17. श्री नवीन गिरि	7983346972
8. श्री प्रदीप कुमार	6397110770	18. श्री जमाल अहमद	8439891515
9. श्री प्रमोद कुमार मलकानी	9756025706		
10. श्री मुकेश कुमार	8958533192		

महाविद्यालय की महत्वपूर्ण समितियाँ (सत्र 2026-27)

आई. क्यू. ए.सी. :

डॉ० दीपा अग्रवाल
डॉ० नवीन कुमार
डॉ० ऋचा चौहान
डॉ० तरुण कुमार गुप्ता
डॉ० विधि त्यागी
डॉ० नीतू गुप्ता
डॉ० किरन शर्मा
श्री दिनेश कुमार (का०अ०)
श्री अभिषेक

परीक्षा समिति :

डॉ० सूर्यकान्त शर्मा
डॉ० नवीन कुमार
श्री विपुल सिंह
डॉ० विमल कान्त तिवारी
डॉ० संजीव चौहान
डॉ० मीरा चौरसिया
श्री सुमित कौशिक
श्री रविन्द्र सिंह

अनुशासन समिति :

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार
डॉ० हिमांशु कुमार
डॉ० अनामिका चौहान
डॉ० दीपिका सैनी
डॉ० इरफान
डॉ० कुलदीप कुमार
डॉ० मीरा चौरसिया
श्री दिनेश कुमार (का०अ०)

क्रीड़ा समिति :

श्री विपुल सिंह
डॉ० तरुण कुमार गुप्ता
डॉ० धर्मेन्द्र कुमार
श्री आशुतोष शर्मा
डॉ० नीतू कुमार
डॉ० अपर्णा शर्मा

प्रवेश समिति :

श्री नवीन कुमार
डॉ० मीरा चौरसिया
डॉ० अनीता रानी
डॉ० देवपाल
डॉ० संजीव कुमार
डॉ० दीपिका सैनी
डॉ० मौ० इरफान
डॉ० अनामिका चौहान
डॉ० पुनीता शर्मा

कैरियर काउंसलिंग

प्लेसमेंट असिस्टेंट समिति :

डॉ० अरविन्द कुमार
डॉ० दीपिका सैनी
श्री गौरव अग्रवाल

रिसर्च एवं डेवलपमेंट समिति

डॉ० नीतू कुमार, प्रभारी/समन्वयक
डॉ० देवपाल
डॉ० अनामिका चौहान
श्री गौरव अग्रवाल

अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समिति :

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार
डॉ० अरविन्द कुमार
डॉ० श्वेता
श्री अमित बहादुर

पुरातन छात्र समिति :

डॉ० अनिता रानी
श्री नवीन कुमार
श्री विपुल सिंह

सांस्कृतिक क्रियाकलाप समिति :

डॉ० श्वेता
डॉ० अर्पणा शर्मा
श्रीमती मंजू लता
डॉ० कुलदीप कुमार

डॉ० पुनीता शर्मा

डॉ० अनिता रानी

डॉ० हिमांशु कुमार

डॉ० रीना तोमर

श्री सुमित कौशिक

श्रीमती दीपाक्षी शर्मा

तम्बाकू निषेध एवं एण्टी ड्रग समिति :

डॉ० संजीव कुमार

डॉ० मौ० इरफान

एंटी रैगिंग :

डॉ० दीपिका सैनी

डॉ० प्रभात कुमार सिंह

श्री भुवन चंद्र ब्रजवासी

प्रांगण विकास समिति :

डॉ० किरन शर्मा

डॉ० सूर्यकान्त शर्मा

श्रीमती प्रणिता भण्डारी

आई.सी.टी. एवं ई-लर्निंग समिति :

डॉ० हिमांशु कुमार नोडल अधिकारी

डॉ० श्वेता, नोडल अधिकारी

डॉ० अरविंद कुमार

डॉ० अपर्णा शर्मा

डॉ० अनिता शर्मा

श्रीमती प्रणीता भण्डारी

निर्धन एवं मेधावी

(मेंटोरशिप एवं इंस्पायर ग्रुप)

छात्र/छात्रा कल्याण समिति :

डॉ० नीतू गुप्ता

श्री विनीत कुमार

डॉ० अनुराग शर्मा



शिक्षक-अभिभावक संघ :

डॉ० श्वेता
डॉ० अरविन्द कुमार
श्री नावेद आसिफ

श्री विनीत कुमार
श्री नवीन कुमार
डॉ० तरुण कुमार गुप्ता
साक्षी (छात्रा बी.कॉम.)

समर्थ पोर्टल एवं एम.आई.एस. प्रकोष्ठ

डॉ० विमलकांत तिवारी
श्री निशिथ कुमार

स्वास्थ्य जागरुकता समिति (ई- रक्तकोष, आभा आईडी एवं आयुष्मान कार्ड) :

डॉ० प्रभात कुमार सिंह
डॉ० नीशू कुमार
श्रीमती दीपाक्षी शर्मा

प्रचार-प्रसार (मीडिया) एवं सूचना (फोटोग्राफस सहित) संकलन समिति :

डॉ० तरुण कुमार शर्मा
डॉ० धर्मेन्द्र कुमार
श्री आशुतोष शर्मा
श्री दीपक चौधरी

के.पी. आई. एवं उपस्थिति डेटा :

श्री विपुल सिंह
डॉ० अरविन्द कुमार

समान अवसर प्रकोष्ठ (EOC) :

डॉ० पुनीता शर्मा
डॉ० मीरा चौरसिया
श्रीमती मंजु लता

महाविद्यालय समय सारणी समिति :

श्री विनीत कुमार
डॉ० नीतू गुप्ता
डॉ० देवपाल
डॉ० विमलकांत तिवारी (पी.जी पाठ्यक्रम)

एन०सी०सी० :

डॉ० अपर्णा शर्मा
श्री विपिन कुमार

रोवर्स रेंजर्स समिति :

डॉ० सूर्यकान्त शर्मा
डॉ० विधि त्यागी
श्री सतीश कुमार

अकादमिक एवं प्रशासनिक ऑडिट समिति (AAA):

डॉ० देवपाल
डॉ० संजीव कुमार
डॉ० सूर्यकान्त शर्मा
डॉ० मीरा चौरसिया
श्रीमती प्रणीता भण्डारी

पुस्तकालय समिति :

डॉ० पुनीता शर्मा
डॉ० मौ. इरफान
श्री आशुतोष शर्मा
डॉ० रीना तोमर
श्रीमती मंजुलता

एन०एस०एस० :

डॉ० मौ. इरफान
डॉ० पुनीता शर्मा

अकादमिक क्रियान्वयन समिति :

डॉ० नीशू कुमार
डॉ० किरन शर्मा
डॉ० प्रभात कुमार सिंह

महाविद्यालय पत्रिका/न्यूज़ लेटर प्रकाशन समिति :

श्री आशुतोष शर्मा
डॉ० अपर्णा शर्मा
डॉ० अनिता रानी
श्री अमित बहादुर

एन.आई.आर.एफ.-ए.आई.एस.एच.ई./एस.आई.आर.एफ. :

डॉ० ऋचा चौहान
श्री जितेश बगड़वाल

रेडक्रास समिति :

डॉ० प्रभात कुमार सिंह
डॉ० विधि त्यागी
डॉ० अनामिका चौहान

आंतरिक शिकायत निवारण समिति (ICC):

डॉ० अनामिका चौहान
डॉ० ऋचा चौहान
श्रीमती रीना गुप्ता

वेबसाइट समिति :

डॉ० कुलदीप कुमार
श्रीमती प्रणीता भण्डारी
श्री विपिन कुमार

साइबर सुरक्षा समिति (सी०आई०एस०ओ०)

डॉ० विमलकांत तिवारी

छात्र/छात्रा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :

डॉ० किरण शर्मा
डॉ० नीशू कुमार
डॉ० सूर्यकान्त शर्मा

प्रवेश विवरणिका समिति :

डॉ० नवीन कुमार
डॉ० विमलकांत तिवारी
श्री नवीन कुमार
श्री दिनेश कुमार
श्री निशिथ कुमार

युवा संसद :

डॉ० नीशू कुमार, नोडल अधिकारी

परीक्षा नियंत्रक (स्वायत्त):

डॉ० ऋचा चौहान

NEP Co-ordinator :

डॉ० नीशू कुमार



विवरणिका 2026-27

प्रारूप (क)

छात्र/छात्रा द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा / रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा / लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा / करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा / करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता / करती हूँ तो महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता / लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री / कु0/ श्रीमती
जो मेरे संरक्षण में रहेंगे / रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार उचित रखेंगे / रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाई स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में जो नियम होंगे मेरा पुत्र/पुत्री उनका पालन करेगा।

हस्ताक्षर

पिता-अभिभावक

1. महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं द्वारा मोबाइल लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
2. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने पुत्र/पुत्री को मोबाइल के साथ महाविद्यालय न भेजें। मोबाइल पकड़े जाने पर जब्त कर लिया जायेगा।
3. किसी शैक्षिक कार्य हेतु प्राध्यापक द्वारा निर्देशित किये जाने पर ही छात्र/छात्रा मोबाइल लेकर आ सकेंगे।



बोनाफाइड प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवेदन

परीक्षार्थी का नाम –
पिता का नाम –
पूर्ण पता –
प्रवेश संख्या
प्रवेश शुल्क

चमन लाल महाविद्यालय, लण्डौरा (हरिद्वार)
बोनाफाइड प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र / पुत्री श्री
ने महाविद्यालय में कक्षा में सत्र
में प्रवेश लिया है। छात्र द्वारा महाविद्यालय में निम्नानुसार शुल्क जमा किया गया।
शिक्षण शुल्क:-
प्रवेश शुल्क:-
योग:-

प्राचार्य

सेवा में,
प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लण्डौरा (हरिद्वार)

विषय: अधूरे प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी / प्रार्थिनी ने महाविद्यालय में कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। अभी मेरे पास निम्नोक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थिनी को अस्थायी प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी / प्रार्थिनी द्वारा उपर्युक्त प्रमाण-पत्र विलंबत 15 दिन में जमा करा दिए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

भवदीय/भवदीया

छात्र/छात्रा का नाम—
पिता का नाम—
मोबाइल नंबर—

